• दिशानिर्देश - 17.10.16
. 10.2.17

राजस्थान सरकार
शिक्षा(ग्रुप–1)विभाग

क्रमांक प. 4(8)शिक्षा–1/लैपटॉप/2012 पार्ट–II जयपुर, दिनांक 17.10.16

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

विषयः–मेधावी विद्यार्थियों को गुणवत्तायुक्त लैपटॉप वितरित किये जाने हेतु दिशा–निर्देश।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के कम में लेख है कि मेधावी विद्यार्थियों को वर्ष 2016–17 (सत्र 2015–16 की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों हेतु) में लैपटॉप का वितरण निम्नानुसार किया जायेगा :–

1.0 लैपटॉप वितरण योजना से लाभांवित होने हेतु पात्रता :

1.1 कक्षा 8 के प्रारम्भिक शिक्षा पात्रता परीक्षा में न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले राज्य स्तरीय योग्यता सूची के अनुसार राजस्थान राज्य के राजकीय विद्यालयों में अध्ययन करने वाले प्रथम 6000 विद्यार्थी तथा जिला स्तर पर कक्षा 8 के प्रारम्भिक शिक्षा पात्रता परीक्षा में न्यूनतम 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले जिला स्तरीय योग्यता सूची के अनुसार केवल राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत प्रथम 100–100 विद्यार्थी योजना का लाभ लेने हेतु पात्र होंगे।

1.2 कक्षा 10 की राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले राज्य स्तरीय योग्यता सूची के अनुसार राजस्थान राज्य के राजकीय विद्यालयों में अध्ययन करने वाले कक्षा 10 के प्रथम 5880 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी एवं प्रवेशिका परीक्षा में प्रथम 120 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी। इसी प्रकार जिला स्तर पर लैपटॉप वितरण हेतु कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में न्यूनतम 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले जिला स्तरीय योग्यता सूची के अनुसार केवल राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत प्रथम 98 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी एवं प्रवेशिका परीक्षा में जिले में प्रथम दो स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी योजना का लाभ लेने हेतु पात्र होंगे। राज्य व जिला स्तर पर पात्र विद्यार्थियों की संख्या निम्नानुसार होगी।

अ–राज्य स्तर :

(i) कक्षा 10 की मेरिट के प्रथम 5880 विद्यार्थी।

(ii) प्रवेशिका परीक्षा की मेरिट के प्रथम 120 विद्यार्थी।

ब–जिला स्तर :

(i) कक्षा 10 में प्रथम 98 विद्यार्थी

(ii) प्रवेशिका परीक्षा में प्रथम दो स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी

1.3 कक्षा 12 की राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले राज्य स्तरीय योग्यता सूची के अनुसार राजस्थान राज्य के राजकीय विद्यालयों में अध्ययन करने वाले कक्षा 12 के सभी संकायों में 5880 एवं वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा के प्रथम 120 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप ...

किये जायेंगे। इसी प्रकार जिला स्तर पर लैपटॉप वितरण हेतु कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में न्यूनतम 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले जिला स्तरीय योग्यता सूची के अनुसार केवल राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत सभी संकायों में 98 लैपटॉप एवं वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा के जिले में प्रथम दो स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी योजना का लाभ लेने हेतु पात्र होंगे। राज्य व जिला स्तर पर सभी संकाय के पात्र विद्यार्थियों की संख्या का निर्धारिण निम्न सूत्र के अनुसार किया गया है।

बोर्ड परीक्षा के आधार पर लैपटॉप प्राप्त करने के लिए संकाय विशेष के पात्र विद्यार्थियों का प्रतिशत	=	कक्षा 12 की संकाय विशेष में 70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या	÷	कक्षा 12 के तीनों संकायों एवं वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में 70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या	×	100

उपरोक्त सूत्र एवं राज. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2015–16 के परिणाम के आधार पर कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए संकायवार संख्या निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है :–

अ –राज्य स्तर :

(i) विज्ञान वर्ग के 0.441% अर्थात प्रथम 2593 विद्यार्थी।

(ii) वाणिज्य वर्ग के 0.0718% अर्थात प्रथम 423 विद्यार्थी।

(iii) कला वर्ग के 0.487% अर्थात प्रथम 2864 विद्यार्थी।

(iv) वरिष्ठ उपाध्याय के प्रथम 120 विद्यार्थी।

ब–जिला स्तर :

(i) विज्ञान वर्ग के 0.441% अर्थात प्रथम 43 विद्यार्थी।

(ii) वाणिज्य वर्ग के 0.0718% अर्थात प्रथम 07 विद्यार्थी।

(iii) कला वर्ग के 0.487% अर्थात प्रथम 48 विद्यार्थी।

(iv) वरिष्ठ उपाध्याय के प्रथम 02 विद्यार्थी।

1.4 **राज्य स्तरीय मेरिट के आधार पर लैपटॉप प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को जिला मेरिट के आधार पर लैपटॉप वितरण हेतु चयनित नहीं किया जायेगा।**

1.5 कक्षा 8, 10, प्रवेशिका, कक्षा 12 एवं वरिष्ठ उपाध्याय की बोर्ड परीक्षा में राज्य एवं जिला स्तर पर पात्र विद्यार्थियों में से अंतिम कट–ऑफ अंकों पर एक से अधिक विद्यार्थी होने की स्थिति में क्रमशः अनिवार्य विषय अंग्रेजी व हिन्दी में अधिक अंक प्राप्त विद्यार्थी पात्र होगा। यदि इन दोनों विषयों में भी अंक समान है तो अधिक उम्र वाला विद्यार्थी लैपटॉप प्राप्त करने हेतु पात्र होगा।

2.0 लैपटॉप क्रय एवं वितरण

2.1 राज्य स्तर पर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर एवं जिला स्तर पर माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में लैपटॉप वितरण के लिये जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक प्रथम एवं प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों के लिये जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा इस योजना के नोडल अधिकारी होंगें।

2.2 लैपटॉप के स्पेशिफिकेशन का निर्धारण, उसमें शैक्षिक दृष्टि से आवश्यक सॉफ्टवेयर का समावेश तथा लैपटॉप क्रय एजेन्सी के चयन के संबंध में दिशा–निर्देश राज्य सरकार के द्वारा अलग से जारी किये जायेगे।

2.3 लैपटॉप आपूर्ति हेतु चयनिंत एजेंसी द्वारा लैपटॉप राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी के निर्देशानुसार जिलों में नोडल अधिकारियां को लैपटॉप उपलब्ध कराये जावेंगे।

2.4 लैपटॉप प्राप्ति से वितरण तक लैपटॉप की सुरक्षा हेतु संबंधित नोडल अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

2.5 संबंधित नोडल अधिकारी पात्रता सुनिश्चित कर वास्तविक विद्यार्थी को ही लैपटॉप वितरित कर प्राप्ति रसीद राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

3.0 भुगतान की प्रक्रिया एवं पर्यवेक्षण

3.1 निदेशक,माध्यमिक शिक्षा बीकानेर द्वारा लेपटॉप आपूर्ति हेतु चयनित एजेंसी को नियमानुसार भुगतान किया जावेगा।

3.2 निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा वितरण प्रक्रिया का प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जावेगा।

4.0 समारोह आयोजन समिति का गठन

4.1 राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर चयनित विद्याथियों को लैपटॉप का वितरण जिला स्तरीय समारोह में किया जायेगा। प्रत्येक जिला स्तरीय समारोह के आयोजन पर अधिकतम 50,000 रूपये व्यय किये जा सकेंगे । इस राशि का 50 प्रतिशत राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद व 50 प्रतिशत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा देय होगा ।समारोह स्थल का निर्णय जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा ।जिला स्तरीय लैपटॉप वितरण समारोह स्थल की सुरक्षा, छात्र/छात्राओं/अभिभावकों/नागरिकों के बैठने एवं जल की माकूल व्यवस्था करने हेतु निम्नानुसार समिति गठित की जाती हैं–

जिला स्तरीय समिति–

1.	जिला कलक्टर	अध्यक्ष
2.	जिला कलक्टर द्वारा मनोनीत एक प्रशासनिक अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद से नीचे के स्तर का न हो)	सदस्य
3.	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम)	सदस्य
4.	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–द्वितीय)	सदस्य
5	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक)	सदस्य
6.	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, माध्यमिक शिक्षा अभियान	सदस्य
7.	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान	सदस्य
8.	अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम)	सदस्य सचिव

कृपया उक्त निर्देशों की पालना में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की वर्ष 2015–16 में कक्षा 12, 10 व 8वीं की बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों में से लैपटॉप वितरण हेतु राज्य / जिला स्तर पर पात्र विद्यार्थियों की सूची तैयार कराते हुए अन्य आवश्यक कार्यवाही अविलम्ब प्रारम्भ करें जिससे विद्यार्थियों को इसी वित्तीय वर्ष में लैपटॉप का वितरण सुनिश्चित हो सके।

भवदीय,

(नरेश पाल गंगवार),
शासन सचिव, स्कूल शिक्षा

प्रतिलिपी : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षामंत्री महोदय
2 निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग
3 निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर
4 निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग, जयपुर
5 संयुक्त शासन सचिव, प्रा.शि., आयोजना
6 शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2,6,) विभाग
7 अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर
8 अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर
9 सचिव, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर
10 रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव,
शिक्षा – (ग्रुप–1)